भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1850
दिनांक 01.08.2023/10 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

विचाराधीन कैदी

†1850. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या का कोई अनुमान है;

(ख) क्या देश में जमानत प्रदान करने को सुकर बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार एक नए कानून की आवश्यकता है;

(ग) क्या आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि की दर कर होने के कारण नए कानून की आवश्यकता है, यदि हां, तो कानूनी कार्यवाहियो के निपटान की गति को बढ़ाने के संदर्भ में क्या कानून बनाया जा सकता है; और

(घ) क्या मामूली अपराधों के मामले में गिरफ्तारी और हिरासत को समय-सीमा से विनियमित किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हे अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिसटिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2021 की है। दिनांक 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, देश की जेलों में कुल 4,27,165 विचारणाधीन कैदी बंद थे।

(ख) से (घ): किसी विषय पर कोई नया कानून बनाना और जमानत देने से संबंधित मामलों सहित दंड प्रक्रिया संहिता के संगत प्रावधानों में संशोधन करने इत्यादि समेत आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना सरकार द्वारा समय-समय पर की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है।

लोक सभा प्र.सं. 1850 दिनांक 01.08.2023

भारत सरकार ने सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श से आपराधिक कानूनों, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता आदि की एक व्यापक समीक्षा पहले ही आरंभ कर दी है।

किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत को भारतीय दंड संहिता, 1860 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें ऐसे मामलों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त प्रावधान हैं।

*****